

आवश्यक / फेक्स

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र.एवं स.आ./चारा./09/ 4044-56

जयपुर, दिनांक: २३.३.०९

वास्ते,

जिला कलेक्टर,
जोधपुर।

विषय:— अभाव संबंध 2065 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान हेतु अधिकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक: सहायता/अराका/गौशाला/2065/09/2017
दिनांक 17 मार्च, 2009 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं में अभाव घोषणा की अधिसूचना दिनांक 6.2.09 के पश्चात पशुओं में हुई अतिरिक्त वृद्धि हेतु अनुदान के लिये निर्णय लिया गया। इस क्रम में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निम्न तालिका में अंकित गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम जिला	गौशालाओं की संख्या	पशुओं की संख्या		
			बड़े	छोटे	योग
1.	जोधपुर	18	358	67	425

उपरोक्त गौशालाओं के पशुओं को अनुदान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में आपको प्रेषित सहायता निर्देशिका में अंकित है। सहायता निर्देशिका में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:—

1. गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को बड़े पशु हेतु 20/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 10/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।
2. निर्धारित दर से अनुदान स्वीकृत उसी स्थिति में किया जावे जबकि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ—साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशु हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 6/- रुपये बड़े पशु तथा 3.00 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप दी जावे।
3. पशु आहार आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्भित ही क्रय कर पशुओं को उपलब्ध कराया जाने पर अनुदान देय होगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है उसके लिए जिला कलेक्टर के आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

5. उक्त निर्देश के अतिरिक्त गौशालाओं द्वारा पशुओं को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में विस्तृत निर्देश सहायता निर्देशिका में उल्लेखित है।

भवदीय,

१३/८/३०९
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राज0, जयपुर
2. निजी सचिव, समस्त भन्त्रीगण
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन उप सचिव, आ0प्र0एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

१३/८/३०९
शासन सचिव